

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक:-एफ( )उवसं/तक./ 2022-23/1422  
निमित्त:-

दिनांक: 14-2-23

अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड  
रामगंजमण्डी।

विषय:- Construction of road under PMGSY Salawadhurd to barodiya antari

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मंत्री सडक योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में सलावद खुर्द से बडौदिया आंतरी सडक निर्माण हेतु 4.896 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त अनुपालना पूर्ण न होने के कारण पत्र क्रमांक 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/819 दिनांक 18.09.2015 से स्वीकृति निरस्त होने से नवीन ऑनलाईन प्रस्ताव अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रामगंजमण्डी द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी मोडक की रिपोर्ट अनुसार मोके पर सडक निर्माण कार्य करवाया जाना अवगत कराया है। जो की एफ सी ए 1980 के उल्घन की श्रेणी में आता है। क्यो न इस प्रकरण में राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देवे।

उप वन संरक्षक  
कोटा